कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–36, अंक – 24 | दिसंबर 16–31, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–6

बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर :

सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ और ज़मीर के अधिकार की हिफ़ाज़त के लिए अपनी राजनीतिक एकता को और मजबूत करें!

6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद नामक 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक इमारत का विध्वंस कर दिया गया था। उसके साथ–साथ और उसके बाद, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गयी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।

जबकि प्रगतिशील ताक़तें यह मांग करती रही हैं कि उस अपराध को आयोजित करने वाले गुनहगारों को सज़ा दी जानी चाहिए, परन्तु इंसाफ को इनकार किया गया है। अदालत के फ़ैसलों ने उसी स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश देकर, विध्वंस को सही ठहराया है। अदालत के फ़ैसले का इस्तेमाल करके यह धारणा फैलाई जा रही है कि मामले का समाधान हो चुका है और जो भी उस फ़ैसले का विरोध करता है, वह देश का दुश्मन है। जिसका इस्तेमाल लोगों में खौफ़ पैदा करने और हर प्रकार के विरोध को दबाने के लिए किया जा रहा है।

हम लोगों के लिए, जो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष में डटे हुए हैं, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर, बीते वर्षों के हमारे अनुभव से प्राप्त हुए मुख्य सबकों को दोहराने का एक अवसर है। यह वर्तमान समय में, आगे की राह को निर्धारित करने का एक अवसर है, जब और ज्यादा बढ़–चढ़कर सांप्रदायिक ज़हर को फैलाया जा रहा है, जब अयोध्या के अलावा कई अन्य जगहों पर मस्जिदों को गिराने और मंदिरों का निर्माण करने के लिए आह्वान किया जा रहा है।

सुनियोजित अपराध

30 साल पहले जो हुआ था, उसके बारे में राज्य प्रशासन की कहानी इस झूठ के आधार पर बनाई गई है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कुछ कारसेवकों द्वारा, मज़हबी भावनाओं से प्रेरित, एक स्वतः स्फूर्त कार्य था।

बाबरी मस्जिद का विध्वंस किसी भी तरह से स्वतः स्फूर्त नहीं था। विध्वंस और उसके साथ–साथ कई हफ़्तों तक चलने वाली सांप्रदायिक हिंसा पूरी तरह सुनियोजित थी। वे हुक्मरान वर्ग के उच्चतम स्तरों पर रची गई साज़िश का हिस्सा थे।

राम मंदिर अभियान का नेतृत्व करने में कांग्रेस पार्टी और भाजपा, दोनों के नेता सक्रिय रूप से शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ने अपने–अपने सुरक्षा बलों को आदेश दिया था कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस और सांप्रदायिक हिंसा को पूरी इजाज़त देनी चाहिए। श्रीकृष्ण आयोग ने दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दौरान आयोजित की गयी सांप्रदायिक हिंसा के गुनहगारों में कांग्रेस, भाजपा और शिव सेना, इन सभी पार्टियों को नामित किया था।

हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में आपसी झगड़े उकसाना हिन्दोस्तान पर कब्ज़ा करके, यहाँ पर राज करने की अंग्रेज़ों की रणनीति का एक अहम हिस्सा था। 1857 में जब लोग मज़हब और जाति के भेदभाव को भुलाकर, विदेशी शासकों के ख़िलाफ़ एकजुट हुए थे, तो उसके बाद अंग्रेजों ने जीवन के हर क्षेत्र में सांप्रदायिक बंटवारे को और बढ़ावा देने तथा उसे पूरी तरह संस्थागत बनाने पर बहुत ध्यान दिया था।

कार्यपालिका और विधायिकी, वरिष्ठ अफ़सरशाही और सशस्त्र सुरक्षा बलों के प्रमुखों तथा न्यायपालिका, सभी की सांठ–गांठ के साथ, बाबरी मस्जिद के विध्वंस को जायज़ ठहराया गया और उसी स्थल पर राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर सांप्रदायिक हिंसा फैलायी गयी थी।

राज्य, जिसका फ़र्ज़ है देश के सभी लोगों के जीवन और ज़मीर के अधिकार की हिफ़ाज़त करना, वह राज्य खुद ही हत्यारा, क़त्लेआम का आयोजक बन गया। राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा का सामना करने के लिए, लोगों को बेसहारा, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था।

अयोध्या विवाद का इतिहास

अयोध्या विवाद को सबसे पहले अंग्रेज़ हुक्मरानों ने रचा था। उन्होंने बाबरी मस्जिद से जुड़े सभी दस्तावेज़ी सबूतों को नष्ट कर दिया था। नष्ट किए गए सबूतों में अवध के तत्कालीन नवाब द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज़ शामिल था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों की इबादत के नियमों को निर्धारित किया गया था। अंग्रेज़ हुक्मरानों ने अपने सरकारी पत्र में लिखवा दिया था कि बाबर ने वहां एक राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी।

हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में आपसी झगड़े उकसाना हिन्दोस्तान पर

शेष पृष्ठ 2 पर

बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर सभा का आयोजन :

राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी है!

"राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी है!"; "एक पर हमला सब पर हमला!" सभा के मुख्य बैनर पर लिखे गये इन नारों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर, 6 दिसंबर, 2022 को संसद के सामने आयोजित एक लड़ाकू विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोगों के दृढ संकल्प को प्रकट किया।

प्रदर्शन स्थल के चारों ओर खड़े किये गये पुलिस के बैरियरों पर लगे बैनरों तथा सभा में शामिल लोगों के हाथों में पकड़े गये बैनरों और तख़्तियों पर लिखे नारे थे – "राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद मुर्दाबाद"; "लोगों की एकता की रक्षा करें!"; "1984, 1992 और 2002 के गुनहगारों को सज़ा दो।"

विरोध प्रदर्शन का आयोजन संयुक्त रूप से – लोक राज संगठन (एल.आर.एस.), हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी (सी.जी.पी.आई.), सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एस.डी.पी.आई.), वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया (डब्ल्यू.पी.आई.), सी.पी.आई. (एमएल)–न्यू प्रोलतेरियन, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (ए.पी.सी.आर.), सिटीज़न फॉर डेमोक्रेसी, हिंद नौजवान एकता सभा, जमात–ए–इस्लामी हिंद, लोक पक्ष, मज़दूर एकता कमेटी, पुरोगामी महिला संगठन, द सिख फोरम, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ

शेष पृष्ठ 4 पर

अंदर पढ़ें

- तमिलनाडु में किसानों का संघर्ष 3
- राज भवनों पर किसानों का प्रदर्शन 5
- पंजाब के खेत मज़दूरों ने संघर्ष किया 5
- निजी व्यापारियों के मुनाफ़ों के लिये सरकारी ख़रीद में कटौती 5

बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर

पृष्ठ 1 का शेष

कब्ज़ा करके, यहाँ पर राज करने की अंग्रेज़ों की रणनीति का एक अहम हिस्सा था। 1857 में जब लोग मज़हब और जाति के भेदभाव को भुलाकर, विदेशी शासकों के ख़िलाफ़ एकजुट हुए थे, तो उसके बाद अंग्रेजों ने जीवन के हर क्षेत्र में सांप्रदायिक बंटवारे को और बढ़ावा देने तथा उसे पूरी तरह संस्थागत बनाने पर बहुत ध्यान दिया था।

1947 से, हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग ने शासन करने के ठीक उसी तरीक़े को जारी रखा है। राजीव गांधी की केंद्र सरकार ने फरवरी 1986 में हिंदू भक्तों के लिए उस जगह के ताले को फिर से खुलवाकर, बाबरी मस्जिद के विवाद को और हवा दे दी थी।

हिन्दोस्तानी राज्य की सांप्रदायिकता

पिछले 30 वर्षों ने हिन्दोस्तानी राज्य के लोगों को बांटने और सांप्रदायिकता फैलाने वाले चरित्र को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, जबकि इस राज्य को धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का स्तंभ बताया जाता है। यह राज्य हमेशा धर्मनिरपेक्षता की कसम खाते हुए, खुलेआम और गुप्त, दोनों प्रकार के सांप्रदायिकतावादियों की हिफ़ाज़त करता है।

हमारा संविधान हिन्दोस्तानी लोगों को एक बहुसंख्यक और कई अल्पसंख्यक मज़हबी समुदायों में बांटता है। यह लोगों की राष्ट्रीय, वर्गीय और मानवीय पहचानों को दरकिनार करते हुए, सिर्फ सांप्रदायिक पहचान पर ज़ोर डालता है।

राज्य सैकड़ों साल पूर्व के राजाओं के तथाकथित गुनाहों का बदला लेने के नाम पर, राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले करने की पूरी छूट देता है। अदालतें ऐसे अभियानों को सही ठहराती हैं और प्रोत्साहन देती हैं।

न्यायपालिका सांप्रदायिक आधार पर बदले की भावना को भड़काने का खुलेआम समर्थन करती है। उसने न केवल विभिन्न भाजपा नेताओं पर लगे आरोपों को ख़ारिज़ किया है, जिन्होंने खुले तौर पर बाबरी मस्जिद को गिराने का आह्वान किया था। उसने एक जायदाद–विवाद का इस्तेमाल करके, एक आदेश पारित किया है कि केंद्र सरकार को अब उसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी। इस प्रकार, न्यायपालिका ने धार्मिक आस्थाओं और उपनिवेशवादी झूठ पर आधारित दावों को क़ानूनी तौर पर जायज़ ठहराया है।

हमारा संविधान हिन्दोस्तानी लोगों को एक बहुसंख्यक और कई अल्पसंख्यक मज़हबी समुदायों में बांटता है। यह लोगों की राष्ट्रीय, वर्गीय और मानवीय पहचानों को दरकिनार करते हुए, सिर्फ सांप्रदायिक पहचान पर ज़ोर डालता है।

राजनीतिक सबक

बाबरी मस्जिद का विध्वंस हिन्दोस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसके साथ, राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और बढ़ते राजकीय आतंकवाद का एक नया दौर शुरू हुआ।

आज यह स्पष्ट हो गया है कि सरमायदार जनता के ऊपर मौत, तबाही और आतंक बरसाए बिना, शासन नहीं कर सकता है। सरमायदारों के शासन को बरकरार रखने के लिए राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के कांडों को बार–बार अंजाम देने की आवश्यकता होती है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उस स्थान पर राम मंदिर बनाने के अभियान के ज़रिये, फरवरी 2002 के गुजरात के जनसंहार के लिए ज़मीन तैयार की गयी थी। अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों से भरी एक ट्रेन पर लगायी गयी आग ने उस चिंगारी का काम किया, जिससे पूरे राज्य में कई हफ़्तों और महीनों तक सांप्रदायिक हिंसा का दौर चलता रहा।

ऐतिहासिक ग़लतियों को सुधारने के नाम पर अब और विध्वंस की मांग की जा रही है। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए मज़हबी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समाज को पीछे की ओर घसीटा जा रहा है। लोगों के ज़मीर के अधिकार को वही राज्य पांव तले रौंद रहा है, जिससे लोग ज़मीर के अधिकार की हिफ़ाज़त करने की उम्मीद करते हैं।

पिछले 30 वर्षों ने दिखाया है कि हिन्दोस्तानी सरमायदार लोगों के ख़िलाफ़ सामूहिक अपराधों का सहारा लिये बिना देश पर शासन करने में सक्षम नहीं है। इसमें राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा भी शामिल है। सरमायदारों को सत्ता से बेदख़ल करना होगा। यह कार्य केवल मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में, सरमायदारों के शासन के तले सभी उत्पीड़ितों के गठबंधन को बनाकर ही, किया जा सकता है।

इन सबसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सबक यह है कि सिर्फ किसी एक ख़ास पार्टी को सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ते ख़तरे के लिए ज़िम्मेदार ठहराना गलत है। इसके लिए सम्पूर्ण हुक्मरान वर्ग ज़िम्मेदार है। राज्य और उसके सभी संस्थान ज़िम्मेदार हैं। हिन्दोस्तान में और दुनिया के स्तर पर पूंजीवाद का लगातार गहराता संकट, सरमायदारों के समाज–विरोधी हमले का भौतिक आधार है।

सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को दोषी ठहराना और उन्हें सांप्रदायिक कहना ग़लत है। जिन लोगों को उनकी मज़हबी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता है, उन्हें अपनी हिफ़ाज़त और अपनी इबादत के तौर–तरीक़ों के बचाव के लिए संगठित होने का पूरा अधिकार है। हमें राज्य और हुक्मरान वर्ग को अपने संघर्ष का निशाना बनाना चाहिए।

तोड़ने के लिए तरह–तरह के समुदायवाद और विचारधारात्मक भेदभाव का इस्तेमाल किया जाता है। हमें सांप्रदायिक हिंसा और हर प्रकार के राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ अपनी राजनीतिक एकता को तोड़ने की हुक्मरानों की इन सारी कोशिशों का विरोध करना चाहिए।

हमें इस असूल के आधार पर एकजुट होना चाहिए कि हरेक इंसान के ज़मीर के अधिकार का आदर और हिफ़ाज़त करना राज्य का फ़र्ज़ है। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाये तो किसी भी मज़हब के बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक होने का सवाल ही नहीं उठता है। हर इंसान को किसी भी परमात्मा की पूजा करने या न करने की पूरी आज़ादी होगी। हर इंसान की आस्था उतनी ही मान्य होगी जितनी कि किसी दूसरे इंसान की।

हमें इस असूल के आधार पर एकजुट होना चाहिए, कि हर इंसान के अधिकारों की हिफ़ाज़त करना राज्य का फ़र्ज़ है, भले ही उसकी आस्था कुछ भी हो। जब राज्य लोगों के अधिकारों की हिफ़ाज़त करने में नाक़ामयाब होता है, तो राज्य प्रशासन की कमान संभालने वालों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सबसे कड़ी सज़ा उनको होनी चाहिए जो राज्य सत्ता का इस्तेमाल करके, लोगों के ख़िलाफ़ अपराध आयोजित करते हैं।

1857 में विद्रोह करने वाले हमारे पूर्वजों ने यह ऐलान किया था कि "हम हैं इसके मालिक! हिंदोस्तान हमारा!" वह नारा हिन्दोस्तान के लोगों की उस आकांक्षा की अभिव्यक्ति थी कि हम अपने सांझे दुश्मन को हराने और अपने भविष्य के सामूहिक मालिक बनने के लिए, मज़हब और जाति के सभी भेदभावों से ऊपर उठकर, एकजुट होकर लड़ेंगे। उस उच्च आकांक्षा को पूरा करने के लिए संघर्ष आज भी जारी है।

सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष को इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना होगा कि मौजूदा सांप्रदायिक राज्य, जो इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई में सरमायदारों के अधिनायकत्व का अस्त्र है, उसकी जगह पर हमें मज़दूरों और किसानों की हुकूमत के एक नए राज्य की स्थापना करनी होगी। हम, इस प्राचीन सभ्यता के लोग, एक ऐसे राज्य को स्थापित और मज़बूत करने के क़ाबिल हैं, जिसमें हम खुद सारे अहम फ़ैसले ले सकेंगे। ऐसा राज्य समाज के प्रत्येक सदस्य के ज़मीर के अधिकार को सार्वभौमिक और अलंघनीय मानकर, उसका सम्मान और हिफ़ाज़त करेगा। ऐसा राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, समूह या पार्टी किसी के ज़मीर के अधिकार या किसी अन्य मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस पर तुरंत मुक़दमा चलाया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।

हमें इस असूल के आधार पर एकजुट होना चाहिए, कि हर इंसान के अधिकारों की हिफ़ाज़त करना राज्य का फ़र्ज़ है, भले ही उसकी आस्था कुछ भी हो। जब राज्य लोगों के अधिकारों की हिफ़ाज़त करने में नाक़ामयाब होता है, तो राज्य प्रशासन की कमान संभालने वालों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सबसे कड़ी सज़ा उनको होनी चाहिए जो राज्य सत्ता का इस्तेमाल करके, लोगों के ख़िलाफ़ अपराध आयोजित करते हैं।

पिछले 30 वर्षों ने दिखाया है कि हिन्दोस्तानी सरमायदार लोगों के ख़िलाफ़ सामूहिक अपराधों का सहारा लिये बिना देश पर शासन करने में सक्षम नहीं है। इसमें राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा भी शामिल है। सरमायदारों को सत्ता से बेदख़ल करना होगा। यह कार्य केवल मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में, सरमायदारों के शासन के तले सभी उत्पीड़ितों के गठबंधन को बनाकर ही, किया जा सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

जब हुक्मरान वर्ग मज़हब के आधार पर जनता के किसी विशेष तबके को निशाना बनाता है, तो यह वास्तव में पूरी जनता पर हमला है। यह लोगों की एकता और भाईचारे पर हमला है।

हमारा फ़ौरी काम है। हुक्मरान सरमायदारों और मौजूदा सांप्रदायिक राज्य के ख़िलाफ़ लोगों की राजनीतिक एकता को बनाना और मजबूत करना हमारी एकता को

राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट हों!

एक पर हमला सब पर हमला!

http://hindi.cgpi.org/22849

किसान आंदोलन के सामने कुछ सवाल

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के साथ साक्षात्कार

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध

(क़ीमत 25 रु. और डाक खर्च 20 रु.)

निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें

लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी, नई दिल्ली

खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :– ई–392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

तमिलनाडु में किसानों के संघर्ष जारी हैं

तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में किसानों का संघर्ष जारी है। वे अपनी जायज़ मांगों के लिये संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं – सभी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की उचित मूल्य पर पर्याप्त आपूर्ति, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना, बाढ़ की वजह से बरबाद हुई फ़सलों के लिए उचित मुआवज़ा, फ़सल बीमा और गैर कृषि कार्यों के लिए कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण को समाप्त करना।

पिछले कुछ महीनों के दौरान तमिलनाडु के किसानों द्वारा किये गये कुछ संघर्षों की झलक हम निम्नलिखित लेख में प्रस्तुत कर रहे हैं।

उर्वरकों और कृषि के लिये अन्य लागत वस्तुओं की आपूर्ति में कमी के विरोध में संघर्ष

तमिलनाडु पेज़ेन्ट्स एसोसियेशन की तुतीकुड़ी जिला कमेटी और तिरुचेंदूर क्षेत्रीय कमेटी ने मिलकर, सितंबर–अक्तूबर में कुरुंबुर, अरुमुगनेरी और जिले के अन्य स्थानों पर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिये प्रदर्शन किये। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कॉमरेड वी. कृष्णमूर्ति और अन्य किसान नेताओं ने किया। संघर्षरत किसानों ने बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने, सहकारी समितियों के माध्यम से बिना किसी कमी के उर्वरक सहित कृषि की सभी लागत वस्तुओं की आपूर्ति, नमक बनाने वाले मज़दूरों को उचित मज़दूरी, नालों और नहरों की सफाई, जल निकायों की सुरक्षा, रिहायशी इलाकों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, गांव के अस्पतालों में अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, आदि की मांग करते हुए नारे लगाए।

पूरे तमिलनाडु में उर्वरकों की भारी कमी है। तुतीकुड़ी जिले के कलेक्टरेट द्वारा किसानों की शिकायत के निवारण लिये आयोजित की गई मासिक मीटिंग में तुतीकुड़ी जिले के किसानों ने जिले के कलेक्टर को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर, इस मुद्दे को तुरंत हल करने की मांग की है। तमिजागा विवासाईगल संगम के तुतीकुड़ी जिले के अध्यक्ष कॉमरेड सरवनमुथुवेल ने फ़सलों की बुआई के इस महत्वपूर्ण समय पर यूरिया और डीएपी जैसी खादों की भारी कमी के कारण किसानों को होने वाली परेशानियों के बारे में बताया, उन्होंने मांग की कि खादों की कमी की समस्या का तत्काल समाधान किया जाये। इस आंदोलन की वजह से जिला प्रशासन ने किसानों को यह अश्वासन दिया कि खाद की कमी की समस्या को तुरंत दूर किया जायेगा।

तमिल विवासाईगल संगम ने तुतीकुड़ी जिले के कयाथार में 19 सितंबर को फ़सल बीमा, यूरिया व अन्य खादों की आपूर्ति और झीलों तथा नहरों से गाद (सिल्ट) निकालने और रेत को हटाने, आदि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

सिंचाई की बेहतर सुविधाओं के लिए संघर्ष

तमिल विवासाईगल संगम के द्वारा कोयम्बटूर के जिला कलेक्टर के कार्यालय पर सितंबर में एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि लंबे समय से रुकी हुई अन्नामलाई नल्लारू परियोजना पर तमिलनाडु सरकार तुरंत काम शुरू करे। उन्होंने परम्बिकुलम अझियार परियोजना (पी.ए.पी.) के सिंचाई क्षेत्र से जुड़े किसानों की मांगों को उठाया, जैसे कि किसानों के कुओं से बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाये; परम्बिकुलम सिंचाई परियोजना के लिए भूमि देने वाले किसानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाये; मानसून के दौरान वर्षा के जल को बर्बाद न होने दिया जाये, बल्कि इस जल को झीलों, तालाबों, टैंकों (पोखरों) और अन्य जल निकायों आदि को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों ने जिला कलेक्टर के सामने इन मांगों को प्रस्तुत किया। पी.ए.पी. के सिंचाई क्षेत्र के किसानों, कोयंबटूर एंड तिरुपुर पेजेंट्स प्रोटेक्शन एसोसियेशन और कोंगु मंडलम के पश्चिमी क्षेत्र की किसान यूनियनों सहित हजार से अधिक किसानों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया।

थेनी जिले में लोक निर्माण विभाग ने चिन्नमन्नूर क्षेत्र में मुल्लई पेरियार नदी के पास की ज़मीन पर बोरवेल का इस्तेमाल करने और अप्पीपट्टी, ओडापट्टी और तेनपलानी जैसी शुष्क भूमि की सिंचाई के लिए भूमिगत पाइप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2 नवंबर, 2022 को हजारों किसानों ने एक जुलूस निकाला और क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त और नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर के समक्ष एक याचिका पेश की। किसानों के जुलूस को पुलिस ने जब कलेक्ट्रेट तक जाने से रोका तो किसानों ने हाईवे को जाम करके अपना विरोध प्रकट किया।

13 अक्तूबर, 2022 को तमिलनाडु लेक एंड रिवर इरिगेशन पेजेंट्स एसोसियेशन ने त्रिची में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। उन्होंने बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने, उर्वरक के मूल्यों की वृद्धि में कमी करने, सहकारी समितियों के माध्यम से बिना किसी कमी के यूरिया उर्वरक की आपूर्ति, कावेरी नदी पर बैराज के निर्माण व झीलों और तालाबों में बारिश के पानी को बचाने के उपायों को मुहैया कराने की मांग की। हाथ में भीख का कटोरा लिए हुए सैकड़ों किसानों और खेतिहर मज़दूरों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और नारेबाजी की।

दूध उत्पादक किसानों का आंदोलन

तिरुपुर जिले के किसानों ने आविन के दूध–प्रोसेसिंग केंद्र के सामने, तिरुपुर–पल्लादम मार्ग पर सड़क को जाम करने के कार्यक्रम का आयोजन किया। किसानों ने तिरुपुर जिले में आविन सहकारी समितियों पर आरोप लगाया है कि वह किसानों से पूरी मात्रा में दूध नहीं ख़रीद रही हैं। किसानों ने दूध के लिए ख़रीद का मूल्य कम तय करने का आरोप अधिकारियों पर लगाया। उनकी मांग है कि तमिलनाडु की सरकार दूध उत्पादक किसानों की मांगों को स्वीकार करे और उन्हें पूरा करे।

भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ संघर्ष

पानी से संपन्न तंजावुर जिले में कंडियुर ऊपरी तिरुपंधुरिथि, निचले तिरुपंधुरिथि और अन्य क्षेत्रों में बाईपास सड़क बनाने के लिए सरकार किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर रही है। इस संरक्षित कृषि अंचल (प्रोटेक्टेड जोन) में बाइपास सड़क के निर्माण के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किए जाने से किसानों की आजीविका पूरी तरह से नष्ट हो रही है। तंजावुर जिले के किसानों ने थिरुवयारू जिला कलेक्टर को दिए गए अपने ज्ञापन में तमिलनाडु सरकार से सड़क निर्माण परियोजना को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह परियोजना धान, नारियल, सुपारी और सब्जियां उगाने वाली उपजाऊ कृषि भूमि को बर्बाद कर रही है।

किसानों ने 1 नवंबर को काले बिल्ले लगाकर और शंख बजाकर इस सड़क परियोजना का विरोध किया। निचले तिरुपंधुरिथी के पंचायत बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि सरकार बाईपास सड़क परियोजना को बंद करे। 8 नवंबर, 2022 को कावेरी पेजेंट्स प्रोटेक्शन एसोसियेशन ने बाईपास सड़क परियोजना के ख़िलाफ़ तिरुवयारू जिला कलेक्टर के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।

सलेम सहित, विभिन्न स्थानों पर किसानों ने आठ–लेन वाली चेन्नई–सलेम महामार्ग परियोजना का विरोध किया और मांग की कि इसे बंद किया जाए। आंदोलनकारी किसानों ने बताया कि इससे लाखों किसानों की आजीविका नष्ट हो जाएगी और प्राकृतिक पर्यावरण को भी नुक़सान होगा।

केंद्र सरकार चेन्नई में एक और एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने चेन्नई से 68 किलोमीटर दूर कांचीपुरम जिले के परांथुर में एक स्थान को इसके लिया चुना है। यह एक विशाल उपजाऊ कृषि भूमि है। एयरपोर्ट बनाने के मक़सद से सरकार इस कृषि भूमि में से करीब 7,000 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करके इसे बड़े कॉरपोरेट बिल्डर कंपनियों को सौंपने की योजना बना रही है। इस क्षेत्र के किसान लगातार इस क़दम के ख़िलाफ़, अपने विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उन्होंने इस हक़ीक़त को पेश किया है कि यह क़दम उनकी आजीविका को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और उन्हें उनकी भूमि से उजाड़ कर फेंक देगा।

फ़सल बीमा और फ़सलों के नुक़सान से सुरक्षा की मांग को लेकर संघर्ष

तंजावुर जिले के किसानों ने फ़सल बीमा का भुगतान न करने और प्रधानमंत्री किसान योजना (पी.एम.के.वाई.) योजना में धन की कटौती के ख़िलाफ़ विरोध किया। किसान तंजावुर कलेक्ट्रेर के कार्यालय पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार द्वारा पी.एम. के.वाई. के लिए सहायता के आवंटन को 19,000 रुपये से घटाकर 16,000 करोड़ रुपये करने के ख़िलाफ़ नारेबाजी की।

पूर्वोत्तर के मानसून के तेज़ होने के कारण, तंजावुर जिले की और तमिलनाडु के कई अन्य हिस्सों की फ़सलें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। सांबा धान सहित कई फ़सलें पानी में सड़ रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नालों और नहरों की गाद (सिल्ट) नहीं निकाली जाती है जिसके कारण बाढ़ आती है। किसान मांग कर रहे हैं कि नालों और जलमार्गों की सफाई के लिए क़दम उठाए जाएं और प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाए।

30 सितंबर को त्रिची जिले में तमिलनाडु लेक एंड रिवर इरिगेशन पेजेंट्स एसोसियेशन ने कृषि विपणन केंद्रों पर यूरिया, पोटेशियम व खादों की कमी और कावेरी तथा कोल्लीदम नदियों में बाढ़ से प्रभावित फ़सलों के मुआवज़े का भुगतान न करने के ख़िलाफ़, कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। उन्होंने अपने हाथों में खाद की खाली थैलियां और केले के सड़े–गले पौधे को लेकर नारेबाजी की।

किसान संगठन ने प्रति एकड़ धान के लिए 30,000 रुपये और केले के लिए प्रति एकड़ एक लाख रुपये के मुआवज़े की मांग की है।

किसानों ने यह भी मांग की है कि सरकार को वर्षा के स्तर के आधार पर सार्वजनिक संग्रह केंद्रों द्वारा ख़रीदे गए धान की नमी की मात्रा में छूट प्रदान करने के लिए, एक स्थायी हल निकालना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सरकार केवल 17 प्रतिशत नमी वाले धान की ख़रीद की सरकारी घोषणा के विपरीत 20 प्रतिशत तक नमी वाले धान की ख़रीद की अनुमति दे।

23 सितंबर को नेशनल साऊथ इंडिया रिवर लिंक पेजंट्स एसोसियेशन के किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पेंशन सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिये त्रिची जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कोई चाहे कृषि भूमि का मालिक हो या पट्टे/गिरवी की भूमि पर खेती करता हो या दिहाड़ी खेत मज़दूर हो, वे सभी किसान हैं। लेकिन सरकार ने एक बयान जारी किया है कि जिनके पास पट्टे की भूमि है, उन्हें ही किसान माना जाएगा और उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। किसानों ने यह घोषणा की कि सभी किसानों की रक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी है और उनके बीच में फूट डालने के लिये सरकार द्वारा चली गई इस चाल की किसानों ने निंदा की।

शेष पृष्ठ 4 पर

... राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी है!

पृष्ठ 1 का शेष

इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सामाजिक चेतना मंच, इंक़लाबी मज़दूर केंद्र, ए.आई. एफ.टी.यू. (न्यू) और वीमेन इंडिया मूवमेंट द्वारा किया गया।

मुख्य बैनर पर उन राजनीतिक पार्टियों तथा जन संगठनों के नाम लिखे हुये थे, जो पिछले कई वर्षों से इंसाफ़ के लिए संघर्ष को जारी रखे हुए हैं और बार–बार एक साथ आये हैं तथा इस साल भी साथ आए हैं। ये सभी संगठन राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट संघर्ष करते आ रहे हैं।

लोक राज संगठन के अध्यक्ष एस. राघवन; डब्ल्यू.पी.आई. के अध्यक्ष डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास; सी.जी.पी.आई. के प्रवक्ता बिरजू नायक; जमात–ए–इस्लामी हिंद के इनाम उर रहमान; एस.डी.पी. आई. के मो. शफी; लोक पक्ष से के.के. सिंह; सामाजिक चेतना मंच से डॉ. अनवर इस्लाम, इंक़लाबी मज़दूर केंद्र से मुन्ना प्रसाद और ए.पी.सी.आर. के सैफुल इस्लाम ने सभा को संबोधित किया।

लोक राज संगठन के अध्यक्ष एस. राघवन ने राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुट होकर संघर्ष को तेज़ करने के लिए सभी सहभागी संगठनों के दृढ संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भाजपा की अगुवाई वाली उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस की अनुमति देने के लिए दोषी थीं। विध्वंस के बाद, मुंबई में सांप्रदायिक हत्याओं के आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी, भाजपा और शिवसेना सभी दोषी थे। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इनमें से किसी को भी सज़ा नहीं हुई है। हिन्दोस्तानी राज्य के तीनों अंगों – कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका – ने मिलीभगत से हमारे लोगों के ख़िलाफ़ किए गए बर्बर गुनाह को ढकने और अपराधियों को माफ़ करने के लिए काम किया था। उन्होंने समझाया कि लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए राज्यतंत्र का उपयोग करने वाली गुनहगार और सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टियों को रोकने की कोई ताक़त हमारे लोगों के पास नहीं है। उन्होंने लोगों के सशक्तिकरण के लक्ष्य के इर्द–गिर्द लोगों की एक व्यापक एकता बनाने का आह्वान किया। हमें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है – जिसमें समाज को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों को लेने और चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की ताक़त लोगों के पास हो। हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें ज़मीर के अधिकार सहित सभी मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा दी जाएगी।

जमात–ए–इस्लामी हिंद के इनाम उर रहमान ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने इस झूठ का भी पर्दाफ़ाश किया है कि हिन्दोस्तानी राज्य धर्मनिरपेक्ष है। इसके आयोजन के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कभी सज़ा नहीं दी गयी, बल्कि उन्हें सरकार में मंत्री पदों से पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने और सांप्रदायिक जनसंहार आयोजित करने के लिए हिन्दोस्तानी राज्य की कड़ी निंदा की। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से अपील की कि लोगों के किसी भी तबके के साथ हुए अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ एक मजबूत आंदोलन में एकजुट हों।

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए हालात तैयार करने के लिए देशभर में चलाए गए सांप्रदायिक घृणा के अभियान को याद किया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक अवैध कार्य था, फिर भी लोगों को कोई इंसाफ़ नहीं मिला, क्योंकि इस गुनाह के लिए ज़िम्मेदार अपराधियों को सज़ा देने में वह असफल रहा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि हम सबके सांझे दुश्मन के ख़िलाफ़ किये जा रहे संघर्ष में हमारी एकता के लिए राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक सबसे बड़ा ख़तरा है, उन्होंने सभी से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का आह्वान किया।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के प्रवक्ता बिरजू नायक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिन्दोस्तानी राज्य सांप्रदायिक है। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि शासक वर्ग की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने विध्वंस की अनुमति दी थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में थी। सर्वोच्च अदालत ने उसी स्थान पर मंदिर बनाने का आदेश दिया है, जिस स्थान पर ध्वस्त मस्जिद थी। यह हिन्दोस्तानी राज्य की "धर्मनिरपेक्षता" का पूरी तरह से पर्दाफ़ाश करता है। देश का संविधान लोगों को "बहुसंख्यक" और "अल्पसंख्यक" समुदायों में विभाजित करता है, जिसके आधार पर राज्य की संस्थाएं लोगों के इस या उस तबके के साथ भेदभाव करती हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि केवल किसी एक विशेष राजनीतिक पार्टी को ही, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के स्रोत के रूप में पहचानना ग़लत है। राज्य और उसके सभी अंग सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के स्रोत हैं। उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि जो लोग समय–समय पर राज्य के निशाने पर आते हैं, उन्हें राज्य के हमलों के ख़िलाफ़ अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होने का पूरा अधिकार है। अंत में, उन्होंने कहा कि हमारे संघर्ष का लक्ष्य – हक़ीक़त में एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करनी होगी, जहां हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर फ़ैसले लेने की ताक़त लोगों के पास होगी और उन सभी गुनहगारों को सज़ा देने की ताक़त भी होगी जो हमारे जीवन और ज़मीर के अधिकार तथा एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने के हमारे अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

एस.डी.पी.आई. के मो. शफी ने बताया कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही नहीं, बल्कि हमारे देश के सभी लोगों पर और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक ख़तरनाक हमला था। हमारे शासक देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़ी–रोटी आदि सुनिश्चित नहीं कर सकते, इसलिए वे लोगों के बीच फूट डालने के लिए सांप्रदायिक ज़हर फैलाते हैं।

लोक पक्ष से के.के. सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ संघर्ष, देश के बड़े इजारेदार घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग के क्रूर शासन के ख़िलाफ़ संघर्ष है। सांप्रदायिक हिंसा का निशाना पूरा मज़दूर वर्ग और आम लोग हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा तभी समाप्त होगी जब मज़दूरों के हाथ में सत्ता आयेगी।

इंक़लाबी मज़दूर केंद्र के कॉमरेड मुन्ना प्रसाद ने कहा कि हमारा संघर्ष हिन्दोस्तानी राज्य के ख़िलाफ़ होना चाहिए, जो राज्य बड़े इजारेदार कॉरपोरेट घरानों के हितों की रक्षा करता है और हमारे मज़दूरों–किसानों और मेहनतकश लोगों के सबसे बुनियादी अधिकारों का बेरहमी से उल्लंघन करता है। मज़दूरों और किसानों का राज ही लोगों पर हो रहे सांप्रदायिक हमलों को रोक सकता है।

इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किया गया था। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम को अयोजित करने की अनुमति एकदम अंतिम समय तक नहीं दी थी। जबकि इस कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना हफ्तों पहले ही दे दी गई थी। रैली को रोकने के लिए, लाठीचार्ज करने वाली पुलिस को सैकड़ों की संख्या में तैनात किया गया था। जब सहभागी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने के अपने फ़ैसले पर लड़ाकू तरीक़े से ज़ोर डाला, तब जाकर पुलिस ने घोषणा की कि आयोजकों को स्टेज बनाने की अनुमति नहीं है और वे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। यहां तक कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के ख़िलाफ़ इस विरोध प्रदर्शन को असफ़ल करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था, जबकि कई अन्य रैलियों और प्रदर्शनों को इन्हीं अधिकारियों द्वारा उसी स्थान पर आयोजित करने की पूर्ण अनुमति दी गई थी। यह स्पष्ट था कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने के आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारियों की तरफ़ से आए थे। इस विरोध प्रदर्शन को रद्द करने के जबरदस्त दबाव के बावजूद, सहभागी संगठनों ने बड़ी बहादुरी से आगे बढ़कर एक सफल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया।

बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर विरोध प्रदर्शन को रोकने की अधिकारियों की कोशिश एक बार फिर इस हक़ीक़त को स्पष्ट करती है कि हिन्दोस्तानी राज्य सांप्रदायिक हिंसा का आयोजक है। अपने जन–विरोधी और समाज–विरोधी एजेंडे के ख़िलाफ़ एकजुट विरोध को कुचलने के लिए लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना और सांप्रदायिक जनसंहार को बढ़ावा देना शासक वर्ग का पसंदीदा तरीक़ा है। हिन्दोस्तानी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिये बेताब है कि राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के ख़िलाफ़ लोगों की आवाज़ को किसी तरह से दबा दिया जाये।

इस विरोध प्रदर्शन के सफल आयोजन ने लोक राज संगठन और सभी सहभागी संगठनों के दृढ़ विश्वास को एक बार फिर स्पष्ट रूप से प्रकट किया कि लोगों की एकता को तोड़ने की हिन्दोस्तानी राज्य की साजिश का आम लोग हमेशा जबरदस्त विरोध करेंगे। सभी सहभागी संगठनों ने राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राज्य के आतंक को समाप्त करने के लिए संघर्ष जारी रखने के अपने दृढ़ संकल्प को एक बार फिर से दोहराया।

http://hindi.cgpi.org/22864

तमिलनाडु में किसानों का संघर्ष

पृष्ठ 3 का शेष

केला और कई अन्य फ़सलों के साथ–साथ, मंदिर की भूमि पर खेती करने वालों को कृषि ऋण देने से बैंकों द्वारा इंकार किया जाना, मंदिर की भूमि पर पीढ़ियों से खेती कर रहे किसानों को 6,000 रुपये की पेंशन देने से इनकार किया जाना, नारिकुरवों द्वारा 60 से अधिक वर्षों से खेती की जा रही भूमि के लिए उन्हें पट्टा देने से इनकार किया जाना और उन्हें गिरफ़्तार किये जाने के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा ऐसे सभी हमलों की कड़ी निंदा की गई।

गन्ना किसानों का संघर्ष

तमिलनाडु शुगरकेन पेजेंट्स एसोसियेशन ने कुड्डालोर जिले के नेल्लीकुप्पम में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 7 अक्तूबर को उन्होंने नेल्लीकुप्पम में ई.आई.डी. पैरी शुगर मिल के सामने अपने हाथों में गन्ना लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी जिन मांगों के लिये प्रदर्शन किया, उनमें शामिल हैं – तमिलनाडु सरकार द्वारा 5,000 रुपये प्रति टन गन्ना ख़रीद मूल्य दिया जाये; तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिसूचित गन्ने की फ़सलों को उगाने वाले किसानों के शक्कर संयंत्र प्रबंधन द्वारा पंजीकरण किया जाये; किसानों को वर्ष 2003–04 एवं 2008–09 के लाभांश राशि का एवं अपव्यय के नाम पर रोकी गई राशि का तत्काल भुगतान किया जाये।

कल्लाकुरिची में शुगरकेन पेजेंट्स एसोसियेशन ने अपनी मांगों को लेकर 19 अक्तूबर को जिला कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार को कलैयानल्लुर धरणी शक्कर मिल का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और उसे तुरंत चलाना चाहिए और '18–'19 में किसानों से धरनी शक्कर मिल द्वारा ख़रीदे गए गन्ने के बकाया का तुरंत भुगतान करना चाहिए।

दिल्ली की सीमाओं पर किये गये आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर किसानों का प्रदर्शन

संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने सभी किसानों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर, 2022 को देशभर में विशाल विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। तमिलनाडु के कई जिलों में अनेक किसान संगठनों ने 26 नवंबर, 2022 को विशाल जुझारू विरोध मार्च आयोजित किए।

http://hindi.cgpi.org/22834

देशभर में राज भवनों पर किसानों का प्रदर्शन

26 नवंबर, 2020 को किसानों ने "दिल्ली मार्च" विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर क़ानून बनाने और केंद्र सरकार द्वारा पूरे न किये गये अनेक अन्य वादों को पूरा करने की मांग करते हुए देश भर के राजभवनों में प्रदर्शन किये।

एस.के.एम. द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, विरोध प्रदर्शन 25 राज्यों की राजधानियों, 300 से अधिक जिला मुख्यालयों और कई तहसील मुख्यालयों पर आयोजित किए गए। कुल मिलाकर, यह अनुमान लगाया गया है कि पूरे हिन्दोस्तान में 3,000 से अधिक विरोध प्रदर्शन किए गए। 50 लाख से अधिक लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए "राजभवन चलो" में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतरे। कुछ प्रदर्शनों की तस्वीरें यहां पेश हैं।

पंजाब के खेत मज़दूरों ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष किया

ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति (जेड.पी.एस.सी.), पंजाब खेत मज़दूर यूनियन, पेंडू मज़दूर यूनियन, पंजाब खेत मज़दूर सभा, मज़दूर मुक्ति मोर्चा, कुल हिंद खेत मज़दूर यूनियन और दिहाड़ी मज़दूर सभा से जुड़े खेत मज़दूरों ने संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास पर 30 नवंबर को एक विशाल रैली का आयोजन किया।

उनकी मुख्य मांगों में शामिल हैं – गांव की सार्वजनिक भूमि को आरक्षित भूमि में बदलने के लिए क़ानून में संशोधन करना, ग्रामीण सहकारी समितियों में दलितों को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देना और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर जेड.पी.एस.सी. के सदस्यों के ख़िलाफ़ दर्ज़ की गई एफ.आई.आर. को रद्द करना।

प्रदर्शनकारी जब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे तो पुलिस ने उनके रास्तों में बैरिकेट लगा दिये, ट्रकों और अन्य अवरोधों को लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

अधिकारियों ने जब उन्हें आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री 21 दिसंबर को आंदोलनकारी खेत मज़दूरों से मिलेंगे, तब मज़दूरों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि, उन्होंने घोषणा की है कि लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को सरकार ने यदि पूरा नहीं किया तो वे अपना विरोध प्रदर्शन और तेज़ कर देंगे।

भारतीय किसान यूनियन (एकता–उगराहां) जैसे पंजाब के अन्य किसान संगठनों ने खेत मज़दूरों के द्वारा किये जा रहे संघर्ष का समर्थन किया है।

http://hindi.cgpi.org/22858

निजी व्यापारियों के मुनाफ़ों के लिए गेहूं की सरकारी ख़रीद में कटौती

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गेहूं के आटे का सर्व हिन्द दैनिक औसत खुदरा मूल्य 36.98 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले एक साल में आटे के खुदरा मूल्य में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जो लोग पहले से ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की अब तक की सबसे महंगी दरों का सामना कर रहे हैं, उनपर और बोझ बढ़ा है।

सरकार यह दावा करके लोगों को गुमराह कर रही है कि गेहूं के कम उत्पादन के कारण क़ीमत बढ़ गई है। गेहूं का उत्पादन केवल 3 प्रतिशत से भी कम गिरावट के साथ यानि 30 लाख टन घटकर फिलहाल 1060 लाख टन है। जब सरकार के पास नवंबर 2021 में 400 लाख टन से अधिक गेहूं का स्टॉक था तो यह गिरावट कोई मायने नहीं रखती।

अप्रैल–जून 2022 के दौरान गेहूं की सरकारी ख़रीद में की गई बड़ी कटौती ही, गेहूं के खुदरा मूल्य में भारी वृद्धि का असली कारण है।

गेहूं की सरकारी ख़रीद केवल 187 लाख टन थी, जबकि पिछले वर्ष 433 लाख टन थी। इस कटौती ने बड़े निजी व्यापारियों और कॉर्पोरेट्स को पहले की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में गेहूं की ख़रीद करने की अनुमति दी। सरकारी भंडारण में गेहूं का स्टॉक 1 नवंबर, 2022 को घटकर 210 लाख टन रह गया था, जो 1 नवंबर, 2021 को 420 लाख टन था।

इसके अलावा, हाल ही में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं की उच्च क़ीमत का लाभ भी बड़े पूंजीवादी निगमों ने उठाया। अप्रैल–सितंबर 2022 के दौरान देश का गेहूं निर्यात पिछले वर्ष की इस समय की तुलना में दोगुने से अधिक हो गया है।

ये सभी तथ्य बताते हैं कि तीन कृषि क़ानूनों को निरस्त करने के फ़ैसले के बावजूद, केंद्र सरकार इजारेदार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। सार्वजनिक ख़रीद का निर्णय सभी के लिए सस्ती क़ीमतों पर खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रेरित नहीं है, बल्कि खाद्यान्न की ख़रीद में इजारेदार निजी कंपनियों की भूमिका का विस्तार करने के उद्देश्य से है।

http://hindi.cgpi.org/22862

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Dec, 2022 Date of publish - 16 Dec, 2022

To .....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :

ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

राजस्थान के नोहर में सिंचाई के पानी के लिये संघर्ष :

किसानों ने लंबी लड़ाई के बाद अपनी मांगों को जीता

राजस्थान के नोहर जिले में सिंचाई की समस्याओं को लेकर रामगढ़ उप तहसील कार्यालय के सामने चल रहा धरना प्रदर्शन, अधिकारियों से वार्ता के बाद 3 दिसंबर को समाप्त हुआ। एस.डी.एम. की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस वार्ता में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी। संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर–भादरा अमरसिंह ब्रांच के बैनर तले यह धरना पिछले चौबीस दिनों से लगातार जारी था। किसानों के अडिग संघर्ष ने उनकी विभिन्न मांगों पर वार्ता करने के लिये अधिकारियों को विवश कर दिया।

वार्ता में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित, संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर–भादरा अमरसिंह ब्रांच के सदस्य उपस्थित रहे। इनमें शामिल थे – हनुमानप्रसाद शर्मा, ओमप्रकाश सहू, विक्रमसिंह गोगामेड़ी, देवेंद्र भांभू, कृष्णचंद्र, अजय स्वामी, आइदान हुडा, रामेश्वर वर्मा और मदन बेनीवाल।

विदित रहे कि यहां के किसान, संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर–भादरा अमरसिंह ब्रांच की अगुवाई में सिंचाई के पानी की चोरी को रोकने, नहरों में सुधार आदि मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते आये हैं। किसानों ने यहां के अधिकारियों को इससे पहले कई बार ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की हैं। परन्तु प्रशासन हर बार किसानों को वादे करके भूल जाता था। किसानों ने अपनी फ़सलों को बर्बाद होने से बचाने के लिये इस बार आर–पार की लड़ाई को फ़ैसला किया था। नतीजतन अधिकारियों को किसान नेताओं से वार्ता करके उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देना पड़ा।

एस.डी.एम. की अध्यक्षता में, किसानों के प्रतिनिधियों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों बीच हुई वार्ता में विभिन्न मांगों पर सहमति बनी। इन मांगों में शामिल हैं – 11 दिसंबर से 28 दिसंबर को अमरसिंह ब्रांच (ए.एम.एस.) रेगुलेशन के दौरान मोघों का हाइड्रोलिक सर्वे करना, कमांड क्षेत्र एरिया (सी.सी.ए.) चक स्कीम तथा पी. फॉर्म में संशोधन का कार्य आगामी दो माह में करना, निर्धारित साइज़, ड्राइंग, डिज़ाइन के अनुसार ए.पी.एम. तरह की पानी वितरण की व्यवस्था लगाना, ए.एम.एस. सिस्टम 355 सी.एस. में पुराने समय में पूरा होता था, उसका प्रस्ताव आगामी रेगुलेशन कमेटी की बैठक में रखना, रेगुलेशन कमेटी में किसान प्रतिनिधि को शामिल करने की सूचना अख़बारों में प्रकाशित करवाना, 37 व 81 आर.डी. पर उपलब्धता के अनुसार सरकारी मज़दूरों को रखना, ए.एम.एस. के सिस्टम को चौदह दिन चलाकर सात दिन बंद करने का प्रस्ताव रेगुलेशन की बैठक में रखना तथा सिंचाई के पानी की चोरी की रोकथाम के प्रभावी उपाय करना।

अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में सहमति बनने के बाद संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर–भादरा अमरसिंह ब्रांच ने पिछले चौबीस दिनों से जारी आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि अधिकारियों ने इससे पहले भी कई बार आश्वासन दिये हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन समाप्त होने के बाद, वे किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देते। इस कारण समस्यायें जस की तस बनी रहती हैं। इसलिये किसानों को सतर्क रहकर प्रशासन द्वारा मानी गई शर्तों को पूरा होने तक संघर्षरत रहना होगा।

http://hindi.cgpi.org/22868

केरल के मछुआरों ने अपनी आजीविका पर हो रहे हमलों का विरोध किया

पिछले कई महीनों से केरल के मछुआरे तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में बन रहे बंदरगाह के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बंदरगाह को अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, गौतम अडानी इस कंपनी के प्रमुख हैं और वे हिन्दोस्तान के सबसे बड़े कारपोरेट घरानों में से एक हैं।

बंदरगाह का विरोध करने वाले मछुआरों कहना है कि लगभग 7,525 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना समुद्र तटों के कटाव का कारण बन रही है और उनकी आजीविका को नष्ट कर रही है। तटों में हुये कटाव के कारण अनेक प्रदर्शनकारियों के घर नष्ट हो गए हैं। उन्हें अस्थायी आश्रयगृहों में बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

मछुआरे मांग कर रहे हैं कि केरल सरकार इस परियोजना को रद्द करे। इस बंदरगाह को केरल सरकार और अडानी समूह के साथ संयुक्त रूप से निजी–सार्वजनिक साझेदारी के तहत बनाया जा रहा है, और इसका प्रचार "अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट के लिए हिन्दोस्तान का प्रवेश द्वार" के रूप में किया जा रहा है।

केरल में बन रहे बंदरगाह पर मछुआरों का विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी मछुआरे बंदरगाह की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर 16 अगस्त से धरने पर बैठे हैं, जिसकी वजह से निर्माण कार्य को रोक दिया गया है।

कंपनी ने प्रदर्शन को रोकने के लिए केरल उच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, ताकि अदालत के हस्तक्षेप से इसे रोक जा सके। केरल उच्च अदालत ने प्रदर्शनकारियों को सड़क खाली करने का आदेश दिया है।

प्रदर्शनकारियों ने केरल उच्च अदालत के आदेशों की अवहेलना करते हुए, 26 नवंबर को कंपनी की गाड़ियों को निर्माण स्थल में प्रवेश करने से रोक दिया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को विभिन्न आरोप लगाकर गिरफ़्तार किया है।

सैकड़ों प्रदर्शनकारी अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर 27 नवंबर को स्थानीय पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज की वजह से 30 से अधिक मछुआरे घायल हो गए। ख़बरों के मुताबिक, पुलिस ने लगभग 3,000 लोगों के ख़िलाफ़ एफ.आई. आर. दर्ज की है।

अपनी आजीविका की रक्षा के लिए विझिंजम के मछुआरों का संघर्ष पूरी तरह से जायज़ है।

http://hindi.cgpi.org/22854